



2026:AHC:21919

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट याचिका-सी संख्या - 221 सन् 2026

राम धवन और 3 अन्य याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : आदिल अहमद खान

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया,

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर भारती की दलीलें सुनीं और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, प्रतिवादी/प्रतिवादियों को सूचित करने और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि प्रतिवादी/प्रतिवादी इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. इस याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2-तहसीलदार, तहसील-सदर, जिला महाराजगंज को वाद संख्या 13635/2025, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या T T202505470133635 का शीघ्र निर्णय करने का निर्देश दिया जाए।
4. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता का तर्क है कि यद्यपि काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इस याचिका का निपटारा करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देश दिया जाता है कि वह उपरोक्त मामले का निर्णय कानून के अनुसार ही करे और अनावश्यक स्थगन न दे, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

19 जनवरी, 2026

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



प्रमोद त्रिपाठी

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"